



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional Office,
Chandigarh



मिसिल संख्या -: 9-HRC081-2020-CHA

दिनांक: 13-08-2021

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ़ - 160001 (fcforest@hry.nic.in)

विषय:- Diversion 27.792 ha (25.402 ha in Ambala Division and 2.39 ha in Kurukshetra Division) of forest land in favour of General Manager (Tech) & Project Director, NHAI, PIU Ambala for widening/construction of 4 laning of Saha-Shahbad road (NH 444-A) section from km. 14.840 to 31.760, under Forest Division and District Ambala and Kurukshetra, Haryana. (Online proposal FP/HR/Road/44256/2020)

- संदर्भ (i) Pr. Chief Conservator of Forest letter no. Admn-D-3-9510/7796 dated 09.10.2020
(ii) नोडल अधिकारी, पंजाब सरकार के पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-9510/2501 दिनांक 03.08.2021

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है। प्रस्ताव में इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र संख्या दिनांक 23.11.2020 द्वारा सैधानिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालना नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-9510/2501 दिनांक 03.08.2021 द्वारा प्राप्त होने के उपरांत केंद्र सरकार उपर्युक्त विषय हेतु 27.792 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान करती है।

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम पेड़ काटे जाएंगे और काटे जाने वाले 12,137 पेड़ (under Ambala Forest Division) और 976 पेड़ (under Kurukshetra Forest Division) से अधिक नहीं होंगी।
- iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार (Ambala Forest Division) के अंतर्गत Kurali Sec 4 & 5 of PLPA 1900-50.804 ha और (Kurukshetra Forest Division) के अंतर्गत Damli Bundh RD L2-L7 L&R/side-4.78 ha में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 4,73,94,859.7/- रुपये (Rupees four crore seventy three lakh ninety four thousand eight hundred five nine & seven paise only) की राशि से कुल 55.584 ha वन क्षेत्र में पौधे लगाकर किया जायेगा।
- iv. प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- v. राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।
- vi. The Divisional Forest Officer shall ENSURE that the approved CA site(s) will not be changed without the approval of competent authority.
- vii. The CEO, State CAMPA Authority shall ENSURE that the funds under State CAMPA will be released to Divisional Forest Officer as per approved CA scheme.
- viii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- ix. जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।

- x. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
 - xi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा ।
 - xii. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा ।
 - xiii. एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा
 - xiv. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा ।
 - xv. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भूमि संरक्षण के लिए वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
 - xvi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके ।
 - xvii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
 - xviii. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा ।
 - xix. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय – समय पर लगाई जा सकती है ।
 - xx. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी
3. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। **राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।**

भवदीय,

(सी० डी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
IRO, MoEF&CC

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
3. The Nodal Officer (FCA), Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (cffcpanchkula@gmail.com)
4. The CEO, CAMPA Haryana, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana (haryanacampa@gmail.com)
5. Divisional Forest Officer, Forest Division & District Ambala and Kurukshetra, Haryana (dfo.amb-hry@nic.in,dfo.kkr-hry@nic.in)
6. The General Manager (Tech) & Project Director, NHAI, PIU Ambala. (piulamb@gmail.com)